झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

—:संकल्पः—

संख्याः—5/ स0भू0 RCS-66/17......4125....../रा0 राँची, दिनांक—.....08-08-17

विषयः— भारत सरकार की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अंतर्गत **Regional Connectivity Scheme (UDAN) योजना को राज्य में लागू करने हेतु प्रस्तावित RCS हवाई अड्डो के विकास एवं विस्तार हेतु परिवहन (नागर विमानन) विभाग, झारखण्ड सरकार को सरकारी भूमि (GM Land) का निःशुल्क स्थायी भू—हस्तांतरण करने एवं आवश्यकतानुसार ऐसी भूमि को Token Amount 1/— (एक रूपये) पर Long Term Lease पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के संबंध में।**

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक—30.08.2016 में मद संख्या—9 के रूप में भारत सरकार की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अन्तर्गत निर्दिष्ट Guidelines के तहत् झारखण्ड राज्य द्वारा किये जाने वाले अनुपालन कार्य एवं राज्य सरकार का Commitments & Implementation को सुनिश्चित करने के प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित MoU पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

(2) दिनांक—31.08.2016 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आहूत बैठक में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राज्य सरकार के मध्य एक MoU पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें उक्त योजना के तहत् राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों के संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की प्रतिबद्धता है कि प्रस्तावित RCS हवाई अड्डों के विकास एवं विस्तार हेतु सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाय।

(3) परिवहन (नागर विमानन) विभाग, झारखण्ड द्वारा सहमति दी गयी है कि—"RCS के तहत् राज्य के विभिन्न Airport की भूमि के संबंध में यह उचित प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसी भूमि का हस्तांतरण परिवहन (नागर विमानन) विभाग, झारखण्ड को किया जाय जो आवश्यकतानुसार ऐसी भूमि को Token Amount 1/— (एक रूपये) पर Long Term Lease पर AAI को उपलब्ध कराये"।

इस संदर्भ में राजस्व विभागीय संकल्प संख्या—4306/रा0, दिनांक—24.10.14 की कंडिका—4 (b) के तहत् "भारत सरकार एवं उनके उपक्रम तथा निजी व्यक्ति/कम्पनी जिन्हें सशुल्क गैरमजरूआ भूमि की लीज बंदोबस्ती/स्थायी बंदोबस्ती की जानी है वे लीज स्वीकृति के 60 दिनों के अन्दर लीज का इकरारनामा कर पूर्ण राशि सरकारी कोष में जमा करेंगे। राज्य सरकार के विभाग, बोर्ड, निगम, प्राधिकार जिन्हें सशुल्क भूमि की लीज बंदोबस्ती/स्थायी बंदोबस्ती की जानी है, वे छः माह में पूर्ण राशि सरकारी कोष में जमा

कृ0पृ0उ0

करेंगे। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं किये जाने एवं इकरारनामा नहीं किये जाने पर लीज रद्द कर दी जाएगी" एवं 4 (f) के तहत् "भारत सरकार एवं उसके विभिन्न उपक्रमों को (सड़क, रेलवे, आवासीय प्रयोजन तथा कार्यालय निर्माण को छोड़कर) गैरमजरूआ भूमि की स्थायी बंदोबस्ती नहीं की जाएगी तथा उन्हें गैरमजरूआ भूमि तीस वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती पर दी जाएगी जिसमें उन्हें एक नीवकरण का विकल्प अनुमान्य होगा"। उक्त दोनों कंडिकाओं से स्पष्ट है कि भारत सरकार एवं उनके उपक्रम को सशुल्क भूमि की बंदोबस्ती की जाती है तथा स्थायी बंदोबस्ती नहीं की जाती है।

(4) अतः मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–01.08.2017 में मद संख्या–13 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त दोनों कंडिकाओं को शिथिल करते हुए भारत सरकार की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अंतर्गत Regional Connectivity Scheme (UDAN) योजना को राज्य में लागू करने हेतु प्रस्तावित RCS हवाई अड्डो के विकास एवं विस्तार हेतु परिवहन (नागर विमानन) विभाग, झारखण्ड सरकार को सरकारी भूमि (GM Land) का निःशुल्क स्थायी भू–हस्तांतरण किया जाय एवं राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–4306/रा0, दिनांक–24.10.14 की कंडिका–4 (b) एवं 4 (f) को शिथिल करते हुए आवश्यकतानुसार ऐसी भूमि को Token Amount 1/– (एक रूपये) पर Long Term Lease पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निम्नांकित शर्तों के अधीन उपलब्ध कराया जाता है :–

(i) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जायेगा, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।

(ii) अन्य सभी शर्ते एवं इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

(iii) यदि प्रस्ताव में जंगल–झाड़ी भूमि सन्निहित हो तो उसका गैर वानिकी उपयोग कार्य करने के पूर्व वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह आदेश संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(उदय प्रताप)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5/ स0भू0 RCS-66/17......4125....../रा0 राँची, दिनांक–...08-08-17

प्रतिलिपि :–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 5/ स0भू0 RCS-66/17......4125....../रा0 राँची, दिनांक–...08-08-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 5/ स0भू0 RCS-66/17......4125....../रा0 राँची, दिनांक–...08-08-17

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सदस्य राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी प्रधान सचिव, झारखण्ड/सभी सचिव, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड /माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

F:\sanglekh\RCS 66 2017.docx